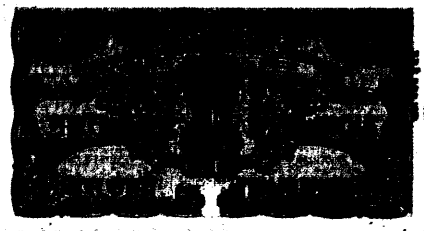

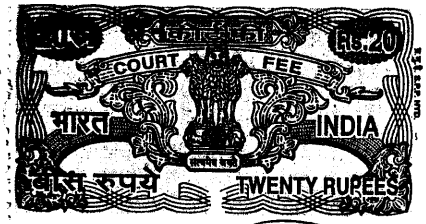

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2017 पुनरीक्षण R 236 - II/17

146

1. मुस. काशी बेबा मंगी
2. रामदयाल पुत्र मंगी
3. नन्दलाल पुत्र मंगी
4. बालकिशन पुत्र मंगी
5. जमना पुत्री मंगी
6. सुक्खी पुत्री मंगी

समस्त निवासीगण ग्राम भोजपुर कृषक
ग्राम मचा खुर्द तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन

.... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता
द्वारा आज दि 17-1-17 को
प्रस्तुत
17-1-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
17-1-17 एडवोकेट
ग्वालियर

17/1/017

<u>न्यायालय तहसीलदार पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा प्र.कं. 01/12–13/अ–21 (1) में पारित आदेश दिनांक 24.06.2013 व 20.08.2013 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वाद भूमि सर्वे नं. 67 रकवा 1.10 है0 व सर्वे नं. 128 रकवा 0.45 है0 भूमि ग्राम भोजपुर तहसील पोहरी में स्थित होकर आवेदकगण के भूमिस्वामी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 236–दो/2017 जिला– शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–01–2017	1– यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार पोहंरी जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 01/12–13/अ–21(1) में पारित आदेश दिनांक 24.6.13 व 20.8.13 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भोजपुर तहसील पोहरी जिला शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 67 रकवा 1.10 है0 व सर्वे कमांक 128 रकवा 0.45 है0भूमि विकय की जाकर प्राप्त धनराशि से आवेदिका कं. 1 मुस. काशी बेवा गंगी की बीमारी का इलाज करायेगी एवं शेष बची राशि से ग्राम मचाखुर्द तहसील पोहरी स्थित भूमि रकवा 9.370 है0 भूमि का कृषि विकास कुंआ खनन आदि करायेगी अतः प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये। कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर तहसीलदार से प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी की ओर प्रतिवेदन भेजकर प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय किये जाने की अनुशंसा की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.08.2013 को आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार के प्रतिवेदन को अपूर्ण बताते हुये उक्त प्रतिवेदन तहसीलदार को वापिस कर दिया उसके पश्चात कोई कार्यवाही न कर तीन वर्ष से अधिक	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही । तहसीलदार द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पत्रिका दिनांक 20.08.2013 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3— आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के पूर्वज को पट्टे पर प्राप्त हुई थी पट्टा वर्षो पूर्व प्राप्त हुआ था पूर्वज को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे । वर्तमान में वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। प्रश्नाधीन भूमि का पूर्वज को वर्षो पूर्व पट्टे पर प्राप्त होने से अर्थात 40 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण भूमि के विक्रय हेतु कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा उसके पक्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन को अपूर्ण बतांकर वापिस कर दिया जिसके पश्चात तहसीलदार द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जोन के बाद भी उक्त आवेदन पत्र पर न तो अग्रिम कार्यवाही की जा रही न ही उसका निराकरण किया जा रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र का निराकरण न किये जाने से इस न्यायालय के समक्ष उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4— अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण नहीं किया है। उनके समक्ष आवेदन	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 236–दो/2017 जिला– शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पर कार्यवाही विचाराधीन है इस कारण प्रस्तुत निगरानी में कोई बल न होने से इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया। 5– उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ मं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का सूक्ष्य अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति इस आधार पर चाही गई थी कि उनकी मां आवेदिका कं. 1 काशी बेवा गंगी बीमारी से ग्रसित है अतः उनके इलाज कराने हेतु धनराशि की आवश्यकता है। उसके द्वारा अनुमति आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इलाज के बाद धनराशि बचती है तो वह शेष राशि से ग्राम मचाखुर्द में स्थित भूमि का कृषि विकास भूमि को सिंचित बनाने के लिये कुंआ का खनन करायेगें, जानवरों से सुरक्षा के लिये पत्थर की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करेगें। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार से प्रतिवेदन मंगाया गया तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर विधिवत इश्तहार जारी किया गया है परन्तु किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, हल्का पटवरी से रिपोर्ट मंगाई गई आवेदकगण के कथन लिये गये तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय करने के पश्चात आवेदकगण भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगें।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अतः विकय की अनुमत दिया जाना उचित है। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के प्रतिवेदन को अपूर्ण बताकर वापिस कर दिया उसके पश्चात तहसीलदार तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद आवेदकगण के आवेदन पर विधिवत कोई कार्यवाही न कर प्रकरण को अनावश्यक लंबित बनाये हुये हैं उनके द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है कि आवेदिका मुस. काशी अस्वस्थ है जिनका इलाज कराना आवश्यक है। विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि प्रश्नाधीन भूमि कें विकय की अनुमति नहीं दिये जाने के कारण आवेदकगण अपनी मां काशी का इलाज नहीं करा पाते तब उन्हें निश्चित रूप से अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि आवेदकगण के पास प्रश्नाधीन भूमि विकय करने के पश्चात ग्राम मचाखुर्द में 9.370 है0 भूमि शेष बंचती है और यदि वह कुंआ खनन कराकर बची भूमि को सिंचित बना लेते हैं तब निश्चित रूप से विक्रय किये जाने वाली भूमि के पश्चात शेष भूमि से अधिक आय होने की संभावना है और अधिक आय होने से उसके परिवार का भरण पोषण हो सकता है। दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति आवेदन मान्य कर कलेक्टर की ओर उचित कार्यवाही हेतु भेजा जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से आवश्यक था परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर प्रकरण को तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रकरण को लंबित बनाये हुये हैं। इस प्रकार उनके द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही न्याय की दृष्टि से विधि संगत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।	

XXIX(a)BR(H)-11

-6-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 236–दो/2017 जिला– शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उपरोक्त विवेचना के आधर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2013 निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण द्वारा ग्राम भोजपुर तहसील पोहरी स्थित वाद भूमि सर्वे कं. 67 रकवा 1.10 है0 एवं सर्वे कं. 128 रकवा 0.45 है0 भूमि विक्रय किये जानेका आवेदन मान्य कर आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार उक्त निगरानी निराकृत की जाती है। सदस्य	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 236–दो/2017 जिला– शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-2-2017	आवेदक अभिभाषक ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 152 के अंतर्गत आदेश में लिपिकीय एवं टंकन त्रुटि सुधार कराने बावत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि आदेश में निगरानी मेमो के पृष्ठ 1 पैरा 2 में ग्राम भोजपुर अंकित हो गया है । जबकि ग्राम मर्चाखुर्द अंकित होना चाहिये था। इसी प्रकार आदेश के पैरा 2 लाईन नं. 3 पर एवं आदेश के अंतिम पद के अंतिम पृष्ठ की चौथी लाईन में ग्राम भोजपुर लिपिकीय एवं टंकन त्रुटि से अंकित हो गया है जबकि ग्राम मचा खुर्द अंकित होना चाहिये थां। आवेदक द्वारा प्रस्तुत त्रुटि सुधार आवेदन विचारोपरांत मान्य किया जाताहै। निगरानी मेमो के पृष्ठ 1 पैरा 2 एवं आदेश के पद कमांक 2 अंतिम पद के अंतिम पृष्ठ पर अंकित ग्राम भोजपुर के स्थान पर ग्राम मचाखुर्द पढे जाने बावत आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति निगरानी प्रकरण में पारित अंतिम आदेश दिनांक 20.01.2017 के साथ संलग्न की जावे। सदस्य	